न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 100/2024
पीठासीन अधिकारी:–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक:– 13.11..2024

1. राज कुमार बैरवा पुत्र श्री प्रहलाद जाति बैरवा निवासी मण्डावरा तहसील फागी जिला दूदू।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला दूदू।

अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता:– श्री सुनील कुमार जोशी वकील प्रार्थी

प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन पत्र

निर्णय दिनांक:– 13.11.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थी की खाता संख्या 392 के खसरा नम्बर 4380/3062 रकबा 0.5058 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम चौरू दक्षिण तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित भूमि के पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 4610/3062 रकबा 1.2139 हैक्टेयर गै.मु. भूमि में से खसरा नम्बर 3061 रास्ते पर जुडता है। जिस पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 4380/3062 में आने जाने के लिए प्रतिपक्षी की खातेदारी खसरा नम्बर 4610/3062 गै.मु. भूमि में से आवश्यकता है। जिसे नक्शा ट्रेस में मार्क ए बी सी डी बरंग लाल से दर्शाया गया है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पूर्व दिशा की ओर खसरा नम्बर 4610/3062 में से होकर खसरा नम्बर 3061 गैर मुमकिन रास्ते से नजदीक स्थित है। उक्त खसरा 4610/3062 गैर मुमकिन के प्रतिपक्षी भूमि धारक है। प्रतिपक्षी की भूमि के उक्त खसरा नम्बर में से प्रार्थी की खातेदारी में जोत हेतु आने–जाने के लिए उपयुक्त है इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं खुलता है। चारों तरफ कोई नियमित मार्ग नहीं है। आज से पूर्व प्रार्थी के पूर्व खातेदार काश्तकार के समय से

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

(2)

उक्त खसरा नम्बर 4610/3062 में से मार्क ए. बी. सी. डी. दर्शित रास्ते से अपने कृषि उपकरण पशु, अपनी खातेदारी में से लाते ले जाते थे व उक्त रास्ते का उपयोग – उपभोग प्रार्थी करता आ रहा है। परन्तु प्रतिपक्षी द्वारा उक्त खसरा नम्बर 4610/3062 सरकारी भूमि होने से आने–जाने के लिए प्रार्थी की खातेदारी जोत में आने जाने की विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रस्तावित मार्ग को संलग्न नजरी नक्शे में बरंग लाल से मा ए. बी. सी. डी. से सुविधा के लिए दर्शाया गया है। प्रतिपक्षी के खसरा नम्बर 4610/3062 गै0मु0 भूमि प्रार्थी के मार्ग को अवरूद्ध किया जा सकता है। जिससे प्रार्थी को कदमी समय से बने रास्ते के आवागमन में परेशानी उठानी पड सकती है। इसलिए कदमी समय से बने रास्ते को प्रार्थी की खातेदारी भूमि में रिकोर्डेड रास्ता किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी प्रतिपक्षी को रास्ते की एवज में मुआवजा राशि जो श्रीमान तैय फरमाये प्रार्थी अदा करने को तैयार है तथा उपर्युक्त प्रतिपक्षी के खसरा नम्बर 4610/3062 के खातेदारी भूमि में होकर कदमी समय से बने हुए रास्ते को रास्ता बाद जॉच प्रदान किया जाना न्यायोचित है। आराजी मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से श्रीमान को सुनवाई का एवं प्रकरण का निस्तारण करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार फागी उपस्थित हुए तथा जवाब पेश कर बताया कि प्रार्थी वर्तमान में अपने खेत आराजी ख0नं0 4380/3062 में आने–जाने हेतु ख. नं. 4610/3062 किस्म गै0मु0 सिवायचक मे से आवागमन कर रहा है। प्रार्थी के खेत से निकटतम कटानी रास्ता खसरा नं0 3061 में से गुजरता है। प्रार्थी के खेत के पास से गुजरने वाले समस्त कटानी रास्तों में से अपने खेत के पास से गुजरने वाले समस्त रास्तों में से अपने खेत में आने–जाने के लिए ख0नं0 4610/3062 किस्म गै0मु0 सिवायचक में से आसानी रहती है। प्रार्थी को रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। प्रार्थी के पास वर्तमान में आवागमन कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। तथा अपने अतिरिक्त कथन मे बताया कि प्रार्थी आराजी ख0नं0 4610/3062 गै0मु0 सिवायचक में से वर्तमान में आवागमन कर रहा है और इसी

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

खसरा नं. 4610/3062 सिवायचक भूमि में रास्ता लगभग 30मी x 4मी = 120 वर्गमीटर कटान हेतु आवेदन कर रहा है। सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रस्तावित मौका नक्शा संलग्न रिपोर्ट है।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र 251 (क) स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

तहसीलदार फागी ने अपने जबाब के तथ्यो को दोहराते हुये रास्ता दिया जाना उचित बताया है।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया की खाता सं. 392 के आराजी खसरा नं. 4380/3062 रकबा 05058 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम चौरू दक्षिण के संबंध में प्रार्थी द्वारा रास्ते हेतु उक्त हस्तगत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबंदी 2072–2075 वाके ग्राम चौरू दक्षिण के खाता सं. 392 में प्रार्थी हिस्सा पूर्ण दर्ज रिकार्ड है। खाता संख्या 1 में अप्रार्थी राज. सरकार दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत कोई अभिधारी अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोग के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में भूमिगत पाईपलाईन बिछाना चाहता है या कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है– अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किये जाने पर ही नवीन रास्ता कायम किये जावें। तहसीलदार फागी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रार्थी के आराजी खाता संख्या 392 के खसरा नंबर 4380/3062 पर पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड नहीं है। आवेदित रास्ता ही प्रार्थी का आवागमन का एकमात्र रास्ता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अप्रार्थी तहसीलदार फागी ने भी अपनी बहस मे विवादग्रस्त आराजी मे 30मी लम्बाई x 4मी चौडाई = 120 वर्गमीटर रास्ता दिये जाने

लगातार.....4

उपखण्ड अधिकारी फागी
फागी, जिला–दूदू

पर कोई आपत्ति प्रकट नही की है। प्रार्थी को अपने खेत पर पहुंचने के लिए खसरा नं. 4610/3062 में से रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251 (क) उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 (क) स्वीकार किया जाकर संलग्न नजरी नक्शानुसार डी0एल0सी0 दर का दो गुना भुगतान प्रार्थी द्वारा खातेदार को अदा किये जाने पर विवादग्रस्त आराजी 4380/3062 भूमि वाके ग्राम चौरू दक्षिण तहसील फागी मे स्थित आराजी मे पहुँच हेतु ख0न0 4610/3062 मे से 30मी लम्बाई x 4मी चौडाई = 120 वर्गमीटर रास्ता राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। प्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि भुगतान की रसीद से न्यायालय को अवगत करावें।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

13/11/24,
(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू